



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1321/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 17/02/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'बहत्तरवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 5. डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |
| 2. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 6. श्री सोनाऊ राम नेताम | – सदस्य |
| 3. डॉ. ममता शर्मा | – सदस्य | 7. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |
| 4. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य | 8. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | – सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. एच.डी. दीवान, तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 13,00,885.00 (रुपए तेरह लाख आठ सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,58,586.00 (रुपए आठ लाख अठावन हजार पाँच सौ छियासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दंडित करने विषयक अपील अभ्यावेदन- डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. जी.के. देशमुख के अपील आवेदन को राजभवन के पत्र क्रमांक 8989/7525/2016/रास/यू-1 दिनांक 20.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 842/7525/2016 /रास/यू-1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा विधिक सलाहकार के अभिमत एवं परीक्षणोपरांत अधिरोपित दंड सेवाभंग काल दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 एवं दो वेतनवृद्धि रोकने के दंड को अपास्त किए जाने योग्य माना है। तदनुसार प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया तथा डॉ. देशमुख के अवकाश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिए जाने का निर्णय लिया गया।

6. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि (62 से 65 वर्ष करने) के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 3-38/2022/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 10.01.2023 का पालन किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय में संचालित चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार संविदा/समुचित वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया।

कंप्यूटर साइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. फर्म IT Application, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur के द्वारा फायरवॉल डिवाइस क्रय पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 27,84,029=00 (रुपए सत्ताईस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. गणित अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. भू-विज्ञान अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. भौतिकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

यूसिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. यूसिक विभाग के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. जैविकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

15. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से दो नाम के मनोनयन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 के अनुसार अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति में डॉ. व्यास दुबे, सदस्य कार्यपरिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय :शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. देवहुति तिवारी (Dr. Devhuti Tiwari) के नाम का अनुमोदन किया गया।

18. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. मनोज शर्मा (Dr. Manoj Sharma) के नाम का अनुमोदन किया गया।

19. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय :विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर के विभागाध्यक्ष शिक्षा पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. दिव्या शर्मा (Dr. Divya Sharma) के नाम का अनुमोदन किया गया।



20. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में अस्थाई रूप से तीन वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।
21. ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में अस्थाई रूप से तीन वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।
22. संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद को हिंदी विषय में अस्थाई शोध केंद्र की मान्यता के स्थान पर स्थाई शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद को हिंदी विषय में अस्थाई शोध केंद्र की मान्यता को शोध उपाधि समिति की संस्तुति के आधार पर स्थाई शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सिविल, जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीय मरम्मत कार्यों हेतु कार्य अनुबंध की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
- निर्णय: सिविल, जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीय मरम्मत कार्यों हेतु निम्नानुसार कार्य अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई -

क्र.	कार्य का नाम	न्यूनतम निविदाकर का नाम	निविदा दर	अनुबंध राशि
01	सिविल मरम्मत	द वेदर मेन, 31/98, पेंशन बाड़ा, रायपुर	@18% (अठारह प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 20,50,000/-
02	जलप्रदाय मरम्मत	श्री ट्रेडर्स, मेन रोड, अमीनपारा, पुरानी बस्ती, रायपुर	@27.60% (सत्ताईस दशमलव छः शुन्य प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 18,10,000/-
03	सेनेटरी मरम्मत	स्वास्तिक ट्रेडर्स, शाप नं. -4, दीनदयाल आवासीय काम्प्लेक्स, रायपुर	@18.25% (अठारह दशमलव दो पाँच प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 20,43,750/-
04	विद्युतीय मरम्मत	प्रमोद कुमार कौशल, 212, सुन्दर नगर, रायपुर	@39.99% (उनचालिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम	रु. 15,00,250/-

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
- निर्णय: अनुमोदन किया गया।



वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी. पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के वेतन अंतर के 5वीं किश्त के एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ- 01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार -

- (1) विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवे किश्त के एरियर्स की राशि माह सितम्बर-2018 तक कुल 05 माह का एरियर्स।
- (2) विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सितंबर 2017 से जनवरी 2018 तक का एरियर्स।
- (3) उपर्युक्त अनुसार कुल राशि रुपए 7,47,791=00 (रुपए सात लाख सैंतालीस हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु निम्नानुसार तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया :-

- (1) डॉ. व्यास दुबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (2) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (3) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

5. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 15,51,312.00 (रुपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. तकनीकी अधिकारियों डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को तृतीय समयमान के एरियर्स राशि रु. 18,73,602/- (रुपए अठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।



अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर के विभागाध्यक्ष शिक्षा पद के लिए चयन समिति द्वारा प्रदत्त सूची में प्रथम डॉ. सीमा अग्रवाल (Dr. Seema Agrawal) के नाम का अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म Arvind Publication, Udaipur से भारतीय प्रकाशन की पुस्तकें 32.56% छूट दर पर एवं Techniz Books International, New Delhi, से विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें 46.35% छूट दर पर क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 के लिए अनुबंधित फर्म National Co-Operative Consumers Fed. of India Ltd. Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India) Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi को देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में जमा किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में दिनांक 17.02.2023 को जमा किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. जैविकी अध्ययनशाला को आबंटित बजट में Equipment मद में प्रावधनित राशि रु. 8.00 लाख में से 4,76,000.00 मूल्य का MW 8 Active Watch device and Accessories क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।


निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। सामग्री प्रोप्राइटरी आइटम खरीदे जाने हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023-24 से 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय: दानदाता प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह, 404, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर - 474011 द्वारा 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' (UMESHEELA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2023-24 से एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-202 का विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1322 / अका./ का.प/2023

रायपुर, दिनांक 17/02/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)